

राजस्थान-सरकार
कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा

Email- dlo.kot@rajasthan.gov.in, Mob. No. :- 7014620151

क्रमांक :- निविदा/लेखा/कोटा/2022-23/ 6901

दिनांक:- 28.10.2022

निविदा आमंत्रण सूचना 01/2022-23

श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर की वित्तीय स्वीकृति क्रमांक-एफ 7 (2) (108)/रा.छा./कोष वजट/सान्याअवि./2021-22/16631-665 दिनांक 01.09.2022 के अनुसार तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थानीय कार्यालय के अधीन संचालित छात्रावासों के लिए वाटर कुलर कय किये जाने हैं, उक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु इच्छुक/सक्षम निविदा दाताओं/आपूर्तिकर्ताओं/प्राधिकृत डीलरों से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है।

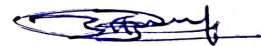
क्र. सं.	सामग्री का विवरण	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रतिभुति राशि 2 प्रतिशत (अनुमानित लागत की)	निविदा प्रपत्र शुल्क	फार्म अपलोड करने की दिनांक एवं समय	डीडी कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय
1.	WATER COOLER	16	6.40	12800/-	500/-	01.11.2022 से 10.11.2022 को सांय 05.00 बजे तक	11.11.2022 को दोपहर 02.00 बजे तक	11.11.2022 को दोपहर 02.30 बजे से

निविदा आमन्त्रण की शर्तें :-

- बोली उन्ही बोलीदाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा तय दिनांक व समय तक निविदा फार्म शुल्क राशि 500/- एवं बोली प्रतिभुति राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि **Deputy Director, Socical Justic and Empowerment Department, Kota** के नाम से इस कार्यालय को जमा करवा दिया गया होगा।
- निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा निविदा या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा एवं सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं कि जायेगी।
- घरोहर/प्रतिभुति राशि केवल डीडी/बैंकर्स चैक के रूप में ही स्वीकार की जायेगी नकद स्वीकार नहीं की जायेगी।
- प्राप्त निविदाओं को निर्धारित दिनांक व समय पर उपापन समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। अपरिहार्य कारणों से निविदा उस दिन नहीं खोली जाने पर उसी समय उपस्थित निविदादाताओं को सूचित कर दिया जायेगा। एवं आगामी कार्य दिवस को निविदाये उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
- सामान्य वित्त व लेखा नियम/राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की समस्त शर्तें व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निर्देश मान्य होंगे।

NIB Code:- SOC2223A0120

UBN:- SOC2223G50B00135



(ओम प्रकाश तोषनीवाल)

उप निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
कोटा

क्रमांक :- निविदा/लेखा/कोटा/2022-23/ 6902-08

दिनांक:- 28.10.2022

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है-

- श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
- श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय कोटा।
- श्रीमान अतिरिक्त निदेशक महोदय (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
- श्रीमान निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय जयपुर को भेजकर लेख है कि नियमानुसार निविदा का प्रकाशन क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र कोटा जिले के स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में डी0पी0आर0 दरो पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशन कराने का श्रम करावे।
- श्रीमान वित्तीय सलाहकार, महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
- श्रीमान एनालिसट कम प्रोग्रामर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन का श्रम करावे।
- नोटिस बोर्ड सूचना केन्द्र कलेक्ट्रेट/सान्याअवि कोटा/कोष कार्यालय कोटा।



उप निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
कोटा

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा

जारीकर्ता अधिकारी के लघु हस्ताक्षर एवं तिथि

निविदा सूचना 01/2022-23

निविदा प्रपत्र (तकनीकी/ वित्तीय निविदा)

विषय :- उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कोटा के अधीन संचालित छात्रावासों लिए वाटर कुलर की आपूर्ति हेतु।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था/फर्म/एजेन्सी का नाम तथा डाक का पूरा पता.....
ई-मेल आईडीमोबाईल.....
2. प्रोपराईटर का नाम एवं स्थायी पता
3. प्रोपराईटर का आधार कार्ड नम्बर.....
4. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि 500/- रुपये जमा कराने का विवरण -
नकद जमा रसीद संख्या/डी.डी. संख्या.....दिनांक.....
5. बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत रुपयेजो कि उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा के पक्ष में जारी हो जमा कराने का विवरण :-
डी.डी./बैंक चैक संख्यादिनांक
6. संस्था के बैंक खाते का विवरण :-
(अ) बैंक खाते में उल्लेखित नाम (बैंक पासबुक अनुसार).....
(ब) बैंक का नाम व शाखा
(स) बैंक खाता संख्याआईएफएससी कोड.....
7. रजिस्ट्रेशन इत्यादि का विवरण -

क्र. सं.	विवरण	रजिस्ट्रेशन नम्बर	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	Valid up to
01.	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)				
02.	आय कर (पैन)				
03.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य सं. अधि. 1958 या भारतीय साझेदारी अधिनियम . 1932 या भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 या के अन्तर्गत				
04.	जुलाई-2022 तक का जीएसटी जमा होने का स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र/ चालान की कॉपी				
05.	राज्य/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होने का 50 रुपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नौट्रेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र				
06	अन्य दस्तावेज:- 01. प्रोपराईटर का आधार कार्ड 02. लघु औद्योगिक इकाई रजि. प्रमाण-पत्र (यदि हो तो)				



उक्त सभी रजिस्ट्रेशन एवं दस्तावेजों के संबंध में राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक/स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

8. तकनीकी सक्षमता :-

वित्तीय टर्न ओवर :-प्रति वर्ष के टर्नओवर का विवरण (आयकर रिटर्न) गत तीन वर्षों का वित्तीय टर्न ओवर के संबंध में सी.ए. द्वारा सत्यापित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रुपये लाखों में)
01	2019-20	
02	2020-21	
03	2021-22	

01. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों से सहमत हूँ/हैं सहमति के साक्ष्य स्वरूप निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे हस्ताक्षर किये गये हैं।

02. दरें समस्त करें सहित निम्नानुसार है:-

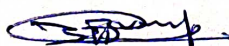
क्र. सं.	सामग्री का विवरण	वांछित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन	ब्राण्ड का नाम	प्रस्तुत दर प्रति नग सभी करें, एफओआर एवं इन्स्टॉलेशन सहित
1	2	3	4	5
1.	Water Cooler	Annexure-A में वर्णित स्पेसिफिकेशन या उससे उच्च स्पेसिफिकेशन		रुपये शब्दों में

नोट :-

1. दरें अंकों एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी है।
2. दरें समस्त करें सहित होगी एवं एफओआर कार्यालय के अधीन संचालित छात्रावासों (संलग्न सुची), कोटा में मय इन्स्टॉलेशन के होगी।
3. निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप ही सामग्री स्वीकार्य होगी।

उपरोक्त सामग्री/सेवायें की निविदा के सन्दर्भ में जारी की गई समस्त शर्तों को स्वीकार करते हुये सप्लाई करने को सहमत हूँ। आदेशित सामग्री/सेवायें नियत समय पर आपूर्ति करने को सहमत हूँ। निविदा की समस्त शर्तों को पढ़कर/समझकर उक्तानुसार दरें प्रस्तुत की गई है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील



मैंने/हमने उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा के द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या.....दिनांकमें वर्णित एवं निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों को स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैंने/हमने हस्ताक्षर किये हैं जिन्हें मैं/हम मानने के लिये बाध्य हूँ /हैं।

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो कार्यालय को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी अमानत राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा को प्रदत्त करता हूँ/करते हैं।

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर
संस्था/फर्म/एजेन्सी की सील

Annexure-A

कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा सामग्री का न्यूनतम स्पेसिफिकेशन्स

क्र. सं.	सामग्री का नाम भय विवरण	Minimum Specification/Requirement
01	WATER COOLER	CAPACITY/ENERGY
		Types
		Storage
		Cooling Capacity Litres/Hour
		40 Liter
		Storage Capacity
		40 Liters/hour
		Maximum Energy Consumption [watt]
		575 Watt for 40 ltr/hr cooling cap
		Power Factor
		1
		CERTIFICATION
		Conformity to Indian
		IS 1475 latest standard
		ISI MARKED
		YES
		CM/L No and date
		6497996
		Availability of Test Report from Central Govt/NABL/ILAC accredited lab to prove conformity to specification
		No
		Test Report Number and Date
		-
		Name and address of the Lab
		-
		GENERIC
		Eco-Friendly [Non CFC Refrigerant]
		Yes
		Water Tank sheet material and thickness
		Stainless Steel [Grade AISI 304] thickness >- 0.5mm or more
		Water Tank cover and lid bottom Sheet material
		A1, sheet
		Water Tank cover and lid bottom Sheet Thickness
		1.5 millimeter
		Cooler Cabinet sheet material
		Stainless Steel [Grade AISI 304]
		cooler cabinet sheet thickness
		0.8 millimeter or more
		Warranty on Machine
		1 year
		Warranty on Compressor
		1 year

उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
कोटा

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा

निविदा सूचना 01/2022-23

निविदा की सामान्य शर्तें

विषय :- उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कोटा के अधीन संचालित छात्रावासों में वाटर कुलर की आपूर्ति हेतु।

1. बोली उन्ही बोलीदाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा नियत दिनांक तक निविदा फार्म शुल्क राशि 500/- एवं बोली प्रतिभूति राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि **Deputy Director, Social Justice and Empowerment Department, Kota** के नाम से इस कार्यालय को जमा करवा दिया गया होगा।
2. प्रतिभूति राशि (बिड सिक्योरिटी) निविदा राशि की 2 प्रतिशत एवं अमानत राशि (परफोर्मेंस सिक्योरिटी) निविदा राशि की 2.5 प्रतिशत होगी।
3. कार्यालय द्वारा जारी किये गये निविदा प्रपत्र पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदा में प्रति वाटर कुलर की दर बाजार में प्रचलित दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
4. रजिस्टर्ड सामग्री प्रदाता संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जावे तथा निविदा के साथ अमानत राशि नकद स्वीकार्य नहीं होगी।
5. निविदादाता को इस प्रपत्र के पृष्ठ संख्या 01 पर अंकित सभी दस्तावेजों की छाया प्रतिया स्व प्रमाणित कर इस तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करनी होगी।
6. समान दरें प्राप्त होने पर सामग्री की क्वालिटी/ब्रान्ड के आधार पर उपापन समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय मान्य होगा।
7. ई-ग्रन्स के माध्यम से बोली प्रतिभूति राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवाने हेतु वित्त (जीएण्डटी) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 एवं वित्त (जीएण्डटी) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर दिनांक 09.07.2020 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
8. निविदादाता द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होने का 50 रुपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। स्टाम्प निविदा जारी होने के बाद की तिथि का होना चाहिए तथा मूल शपथ पत्र, निविदा/धरोहर राशि के डीडी/बैंकर्स चैक के साथ निर्धारित समय तक कार्यालय में जमा करवाना होगा।
9. निविदादाता यदि निविदा खुलने के बाद परन्तु अनुमोदन/स्वीकृति से पूर्व अपनी दरों में परिवर्तन करें, या निविदा वापस लेने या आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का अनुबन्ध समय पर नहीं करें या समय पर सम्पादन सिक्योरिटी राशि जमा नहीं करावे या समय पर सामग्री की आपूर्ति नहीं करावें या अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करें, तो निविदा निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी एवं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. अस्वीकृत निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र के साथ जमा करवाई गई धरोहर राशि लौटा दी जायेगी, किन्तु निम्नांकित परिस्थितियों में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी—
क. यदि निविदादाताओं को निविदा खोलने के बाद, किन्तु उसकी स्वीकृति के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता है अथवा स्वेच्छा से संशोधित करता है।
ख. यदि निविदादाता निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादित नहीं करता है।
ग. यदि निविदादाता कार्य आदेश मिलने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
घ. यदि निविदादाता कार्य आदेश के अनुसार सामग्री सप्लाई नहीं करता है।
11. सफल निविदादाता अपने कार्यों या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य संस्था/व्यक्ति/एजेन्सी को नहीं सौपेगा और ना ही उप बेचान करेगा।
12. न्युनतम बोली स्वीकार करने के लिए यह कार्यालय बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपापन समिति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा को होगा।
13. यदि सफल निविदादाता सामग्री आपूर्ति बीच में ही छोड़कर चला जाता है अथवा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो ऐसी दशा में उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा को निविदादाता की जोखिम एवं लागत पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करवाने का अधिकार होगा एवं उसकी वसूली सम्बन्धित निविदादाता से की जावेगी।
14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन समिति का निर्णय अन्तिम होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा। कानूनी विवाद का न्याय क्षेत्र कोटा, राजस्थान होगा।
15. सामग्री प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा को होगा।
16. सामग्री प्रदाय कर्ता का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा को होगा।
17. सामग्री की आपूर्ति निर्धारित किये गये स्पेशिफिकेशन/ब्रान्ड में ही करनी होगी अगर सामग्री की आपूर्ति निर्धारित स्पेशिफिकेशन/ब्रान्ड के अनुसार नहीं की जाती है तो भुगतान नहीं किया जाकर उपापन संस्था जारी कार्यदेश को रद्द कर सकेगी।
18. समस्त सामग्री बाजार में प्रचलित उच्च ब्रान्ड/क्वालिटी में होनी चाहिए।



19. निविदादाता निविदा प्रपत्र भली प्रकार से पूर्ण रूप से भरकर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर अंकित करके फाईल को निर्धारित दिनांक एवं समय तक जिला कार्यालय पर जमा हो जाना चाहिये। प्राप्त निविदाये उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा निर्धारित दिनांक एवं समय को खोली जायेगी। निविदा खोलने की तिथि को राजकीय अवकाश होने पर निविदा अगले दिन खोली जाएगी।
20. दरे शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटि या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए।
21. निविदा में दी गई शर्तों के अतिरिक्त निविदादाता द्वारा दी गई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी अर्थात् सशर्त निविदाये स्वीकार नहीं की जायेगी।
22. निविदादाता के बिलों के भुगतान में से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेश/संशोधन आदेशों के अनुरूप आयकर टी.डी.ए.आर., जी.ए.टी. टीडीएस अथवा अन्य करों की कटौती की जायेगी।
23. सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
24. आदेशानुसार अथवा अनुमोदित गुणवत्ता का कार्य सम्पादित नहीं करने या कार्य करने में असमर्थ होने पर वांछित कार्य अन्य फर्म से करवाये जाने की दशा में अन्तर राशि की वसूली सम्वन्धित दोषी फर्म से की जायेगी।
25. वाटर कुलर की दरें सभी करों एवं प्रभारों सहित रहेगी जिसमें इन्स्टॉलेशन चार्ज भी शामिल होगा।
26. वाटर कुलर की आपूर्ति एवं इन्स्टॉलेशन कार्यालय के अधीन संचालित जिले के छात्रावासों में करनी होगी जिसके लिए अलग से भाड़ा देय नहीं होगा अर्थात् उक्त सामग्री का एफओआर जिले में संचालित (संलग्न सूची) के अनुसार छात्रावासों में इन्स्टॉलेशन करना होगा।
27. मात्रा की सीमा व पुनरादेश- यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक या कम के आदेश दिये जाते हैं तो भी निविदादाता अपेक्षित प्रदाय की आपूर्ति हेतु आवद्ध होगा। पुनरादेश की मात्रा व शर्तें लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा वित्त विभाग द्वारा जारी लागू प्रावधानों के अनुसार होगी।
28. भुगतान:- नकद एवं अग्रिम भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा। सामान की सुपुर्दगी संतोषप्रद ढंग से करने के बाद सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। बिल के साथ फर्म के बैंक खाते का विवरण भी संलग्न करावें।
29. प्रत्येक सामग्री (उपकरण) पर योजना का लोगो एवं योजना के नाम को इंगित करने वाला प्रदर्शन अंकित करना होगा।
30. निविदा दर प्रस्तुत करने वाली फर्म/निविदादाता वित्त विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक एफ-1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.2013 में उल्लेखित Annexures (निविदा शर्तों के साथ संलग्न) में वर्णित शर्तों को भी मानना/मानने के लिये बाध्य होगा।
31. निविदादाता को फर्म के पंजीकरण (कम्पनी एक्ट/फर्म/उद्योग विभाग, राजस्थान में पंजीकरण/डीलरशीप ऑथोरिजेशन इत्यादि) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
32. निरीक्षण-कार्यालय द्वारा अधिकृत समिति द्वारा आपूर्ति सामग्री की भौतिक जांच की जा सकेगी।
33. अनुमोदित फर्म द्वारा सामग्री की आपूर्ति करते समय सामग्री के किसी भी प्रकार की टूट/फूट/खराब होने की स्थिति में स्वयं फर्म/निविदादाता उत्तरदायी होगा।
34. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी करने के पश्चात सामग्री आपूर्ति से पूर्व प्रत्येक सामग्री का एक नमूना प्रस्तुत करना होगा जो कि निविदा में दी गई स्पेशिफिकेशन या उससे उच्च स्पेशिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए, सामग्री का नमूना निविदा में दी गई स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं होने पर सफल निविदादाता का कार्यादेश रद्द कर दिया जायेगा और दूसरी वरीयता वाले निविदादाता को मौका दिया जायेगा।
35. परिदान कालावधि-जिस बोलीदाता की बोली स्वीकृत हो चुकी है, वह इस कार्यालय द्वारा आदेश दिये जाने पर आदेश में वर्णित अवधि में सामग्री आपूर्ति की व्यवस्था करेगा। समय पर सामग्री की व्यवस्था में असफल रहने पर परिनिर्धारित राशि की वसूली की जायेगी।
36. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी करने के पश्चात सामग्री आपूर्ति विभाग द्वारा नियत स्थान पर कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस में करनी होगी।
37. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages) परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है :-
 (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए - 2.5%
 (ख) विहित सुपुर्दगी अवधि के लिए चौथाई अवधि से अधिक - 5%
 (ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की से अधिक किन्तु - 7.5%
 विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए
 (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए - 10%
 (ङ) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।
 (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
 (छ) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूर्ण करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो यह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायगी आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा को घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

38. अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी तथा उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

नोट:- निविदा फॉर्म में टंकण की त्रुटि होने की दशा में GF&AR में वर्णित शर्तें ही अन्तिम रूप में मान्य होगी।

उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
कोटा

निविदा सूचना एवं उपरोक्त निविदा प्रपत्र में वर्णित 1 से 38 तक की समस्त शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लिया है तथा निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं जिसे मानने हेतु फर्म/निविदादाता सहमत है।

हस्ताक्षर
निविदादाता/फर्म/एजेन्सी मय सी

एस.आर.प्रारूप-11
निविदादाता की घोषणा
(नियम 43-VII)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामानों/सामग्री के लिए निविदा दी है उनका/उनके मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर हूँ/हैं।

मैं/हम उपरोक्त समस्त शर्तें हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों का पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदा दाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण पता

.....
.....
.....



विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों की सूची जिसमें वाटर कुलर की आपूर्ति की जानी है।		
क्र.सं.	नाम छात्रावास	Water Cooler अनुमानित मात्रा
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास कंगोलर	1
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास कन्सुआ कोटा	1
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास कैथून	1
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास खैराबाद	1
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास खातौली	1
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास गहावीर नगर कोटा	1
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास गालारोड कोटा	1
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास गण्डावरा	1
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सांगोद	1
10	राजकीय देवनारायण कॉलेज स्तरीय बालिका छात्रावास कोटा	1
11	राजकीय सावित्री बाई फुले कॉलेज स्तरीय बालिका छात्रावास कोटा	1
12	राजकीय सावित्री बाई फुले बालिका छात्रावास छावनी कोटा	1
13	राजकीय सावित्री बाई फुले बालिका छात्रावास नान्ता कोटा	1
14	राजकीय सावित्री बाई फुले बालिका छात्रावास पीपल्दा कोटा	1
15	राजकीय सावित्री बाई फुले बालिका छात्रावास रामगंजमण्डी कोटा	1
16	राजकीय देवनारायण बालिका छात्रावास कोटा	1
कुल योग		16

नोट:- सफल निविदादाता को उक्त छात्रावासों में स्वयं के खर्च पर वाटर कुलर का इन्स्टॉलेशन भी करवाना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता

मैं/हम उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना क्रमांक.....दिनांक में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मैं/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किये गए समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मैं/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही हैं। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी निविदा/अनुबन्ध को निरस्त करने, मैं/हमारे विरुद्ध कानूनी/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

हस्ताक्षर
निविदादाता/फर्म/एजेन्सी मय सील

संलग्न दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	नाम दस्तावेज / प्रमाण-पत्र	नत्थी सं.
01.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)	
02.	आयकर (पैन नम्बर)	
03.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य सं. अधि. 1958 या भारतीय राजपदारी अधिनियम 1932 या भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 या के अन्तर्गत	
04.	जुलाई-2022 तक का जीएसटी जमा होने का स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र / चालान की कॉपी	
05.	राज्य / केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होने का 50 रुपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र	
06.	अन्य दस्तावेज:-01. प्रोपराइटर का आधार कार्ड 02. लघु औद्योगिक इकाई रजि. प्रमाण-पत्र (यदि हो तो)	

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता



Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of

Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation, in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that the subject or the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:
Place:

Signature of bidder with seal



Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our bid submitted to Deputy Director, Social Justice and Empowerment Department, Kota for supply of Water Cooler from the date of issuing the work order in response to their notice inviting bids no date..... I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public procurement Act. 2012 that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding document issued by the procuring entity:
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state govt. or any local authority as specified in the bidding document:
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons:
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of my criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings:
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the act, rules and the bidding document, which materially affects fair competition:

Date:
Place:

Signature of bidder with seal



Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is The Additional Director, Social Justice and Empowerment Department, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is The Director, Social Justice and Empowerment Department, Jaipur

Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (1) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (2) If the officer designate under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first Appellate Authority, the Bidder of prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- (3) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.
- (4) Form of Appeal
 - (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
 - (B) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Date:
Place:

Signature of bidder with seal



**Mamorandum of appeal under the rajasthan transparency in public
procurement act, 2012**

Appeal No.....of

Before the..... (First/Second Apellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant

(ii) Official address, if any

(iii) Residential address

2. Name and address of the respondent (s);

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against

and name and designation of the officer/authority

who passed the order (enclose copy) or a

statement of a decision, action or omission of

the procuring entity in contravention to the provisions

of the act by which the appellant is aggrieved:

4. If the appellant proposes to be represented

by a representative the name and postal address

of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

.....
.....
.....
.....
.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....
.....
.....
.....

Date:

Signature of bidder with seal

Place:



Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.
- iv.

Date:
Place

Signature of bidder with seal

